महत्वपूर्ण / शीर्षक प्राथमिकता
संख्याः 336 / 69-1-98-2 (एस. डी.) / 97

प्रेषक,

श्री सुबोध नाथ झा,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
(संबंधित 46 नगर)
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांक 20 मार्च, 1998

नगरीय रोज़गार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।

विषय : राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम का कार्यान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 106 / 69-1-98-2 (एस.डी.) / 97, दिनांक 20 जनवरी, 1998 का कृपया संदर्भ लें।

2. उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 20.1.98 में स्पष्ट उल्लेख है कि एन.एस.डी.पी. का क्रियान्वयन स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना की भाँति ही किया जाना है। इससे स्पष्ट है कि राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्य सामुदायिक संगठनों के अनुमोदनोंपरान्त ही किये जायेंगे।

3. अवगत है कि राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु तैयार वार्षिक कार्य योजना एवं कराये जाने वाले निर्माण कार्यों की वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति क्रमशः सूडा एवं डूडा द्वारा प्रदान की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में यदि पुनः सी.डी.एस. का अनुमोदन प्राप्त करना होगा तो समयान्तर्गत, जबकि चालू वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, निर्धारित लक्ष्य एवं धन का उपयोग नहीं हो सकेगा।

4. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष 1997-98 की समाप्ति अर्थात् दिनांक 31.3.98 तक योजनान्तर्गत सामुदायिक संगठनों के अनुमोदन की अपरिहार्यता नहीं है।

5. अतः अनुरोध है कि संबंधित जिलाधिकारी स्वयं की देख-रेख में युद्ध स्तर पर उपर्युक्तानुसार कार्य सम्पादित कर समयान्तर्गत लक्ष्यों को पूर्ण कर अधिकाधिक

धन का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें। एवं आगामी वित्तीय वर्ष 1998-99 की वार्षिक कार्य योजना सी.डी.एस. के अनुमोदनोपरान्त तत्काल तैयार कराकर सूडा एवं शासन को माह अप्रैल, 1998 तक अवश्यमेव उपलब्ध करा दें।

6. इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है दिनांक 31.3.99 तक हुए कार्यों एवं योजनान्तर्गत उपयोगित एवं अनुपयोगित धनराशि का विवरण दिनांक 15 अप्रैल, 1998 तक सूडा एवं शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

कृपया इसे प्राथमिकता दें।

भवदीय,

(एस.एन. झा)
प्रमुख सचिव।

संख्याः **336 (1)/69-1-98-2 (एस.डी.)/97, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) संबंधित समस्त परियोजना निदेशक, डूडा, उ.प्र.।

(2) संबंधित समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) उ.प्र.।

(3) निदेशक राज्य नागर विकास अभिकरण (सूडा) को अभिकरण के पत्रांकः 533/02/दस/97, दिनांक 23.2.98 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(एस. एन. झा)
प्रमुख सचिव।